न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 04 / 2020 जीसीएमएस नम्बरः–2020 / 00056

1. दीवान सिंह उम्र करीब 65 वर्ष पुत्र बदनसिंह
2. रामनिवास उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र गुलाबसिंह
3. रतनसिंह उम्र करीब 44 वर्ष पुत्र गुलाब सिंह
4. प्रेमवती उम्र करीब 90 वर्ष पत्नि बीरीसिंह
5. नाथूराम उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र बीरीसिंह
6. विजयसिंह उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र बीरीसिंह
7. माया उम्र करीब 44 वर्ष पुत्री बीरीसिंह
8. कमला उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र गीतम सिंह
9. संजू उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र गीतम सिंह
10. बंटी उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र गीतम सिंह
11. एदलसिंह उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र गीतम सिंह
12. भूरईया उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र गीतम सिंह
13. रामा उम्र करीब 45 वर्ष पत्नि गोपाल
14. हेमन्त उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र गोपाल
15. अमरेश उम्र करीब 18 वर्ष पुत्र गोपाल
16. कल्याण सिंह उम्र करीब 18 वर्ष पुत्र गोपाल
17. श्यामवती उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र गोपाल
18. अतरसिंह उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र मानसिंह उर्फ सोरन सिंह
19. सुरेश उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र मानसिंह उर्फ सोरन सिंह
20. मुकेश उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र मानसिंह उर्फ सोरन सिंह
21. हरीसिंह उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र मानसिंह उर्फ सोरन सिंह
22. भूरीसिंह उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र मानसिंह उर्फ सोरन सिंह
23. कमला उम्र करीब 60 वर्ष पत्नि मानसिंह उर्फ सोरन सिंह
24. कल्लो उम्र करीब 40 वर्ष पुत्री मानसिंह उर्फ सोरन सिंह
25. लक्ष्मी उम्र करीब 30 वर्ष पुत्री मानसिंह उर्फ सोरन सिंह
26. गुड्डी उम्र करीब 40 वर्ष पुत्री गुलाब सिंह
27. प्रागो उम्र करीब 50 वर्ष पुत्री गुलाब सिंह

समस्त जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम बजहेरा तहसील मनियां जिला धौलपुर

———————————— अपीलाण्टस

बनाम

1. ग्राम पंचायत बोथपुरा जरिये सरपंच
2. माया पुत्री रघुवीर सिंह
3. राजकुमार पुत्र रघुवीर सिंह
4. रामू पुत्र रघुवीर सिंह
5. मुनेश पुत्र रघुवीर सिंह
6. नीतू पुत्र रघुवीर सिंह

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

7. धर्मेन्द पुत्र रघुवीर सिंह
8. बबले पुत्र रघुवीर सिंह
9. ममता पुत्री रघुवीर सिंह
10. लक्ष्मी पुत्री रघुवीर सिंह
समस्त जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम बजहेरा तहसील मनियां जिला धौलपुर (राज0)

---------- रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश नामान्तकरण 399 दिनांक 20.09.2013 ग्राम पंचायत बोथपुरा पंचायत समिति धौलपुर

उपस्थितिः– श्री हरिवीर सिंह, एडवोकेट, अपीलान्ट्स की ओर से
श्री निशान्त भार्गव, एडवोकेट, रेस्पोडेन्टस की ओर से

दिनांक – 11.02.2025

निर्णय

अपीलाण्टस की ओर से अपील प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1107, 1166, 1172 कुल किता 04 कुल रकवा 04 बीघा 14 विस्वा वाके ग्राम मौजा का नगला तहसील मनियां जिला धौलपुर के 1/3 भाग के एंव 1095, 1096, ,1097, 1098, 1099, 1101, 1102, 1103 वाके ग्राम मौजा का नगला तहसील मनियां जिला धौलपुर के 1/6 भाग के खातेदार काश्तकार जोधा वल्द अकबर जाति ठाकुर निवासी बजहेरा तहसील मनियां जिला धौलपुर थे। मुताबिक नामान्तरकरण जोधा का देहान्त दिनांक 27.09.1980 को हो गया। उनकी शादी नही हुई थी । उनका निर्वसीयत एंव लावल्द बिला जोजे देहान्त हुआ था। जोधा का सिजरा नामान्तरकरण की पुश्त पर अंकित किया हुआ है, जो सही है।अपीलान्टस एंव रेस्पोडेन्टस संख्या 2 लगायत 10 एक ही परिवार के सदस्य है अर्थात स्वं. अकबर के वारिसान है। चूंकि स्व. जोधा अकबर के पुत्र थे उनके भाईयों का देहान्त उनसे पूर्व हो गया था। इसलिए अपीलान्टस एंव रेस्पोडेन्टस संख्या 2 लगायत 10 स्व. जोधा के वारिस एंव कायम मुकाम है। अपीलान्टस एंव रेस्पोडेन्टस संख्या 2 लगायत 10 ने ही स्व. जोधा द्वारा छोडी गई समस्त आराजी को अपने'–अपने हिस्से अनुसार प्राप्त किया है और मौके पर काबिज है। स्व. जोधा की मृत्यु के बाद दिनांक 17.09.2013 को पटवारी हल्का ने मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र एंव सिजरा के आधार पर विरासत का नामान्तरण 399 भरकर आई0एल0आर0 के समक्ष प्रस्तुत किया और उन्होने मुताबिक सिजरा नामान्तरकरण का अंकन सही पाया उसके बाद नामान्तकरण पंचायत में प्रस्तुत कर दिया। अपीलान्टस समझते रहे कि स्वं. जोधा द्वारा छोडी हुई आराजी पर उनके नाम नामा0 हो गया है लेकिन दिनांक 18.08.2020 को पटवारी हल्का ने बताया कि स्वं. जोधा द्वारा छोडी हुई आराजी पर तुम्हारे नाम नामा0 नहीं हुआ है। सरपंच ग्राम पंचायत बोथपुरा ने अपनी मर्जी से एक अनरजिस्टर्ड बसीयत के आधार पर अकेले

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

रघुबीर के वारिसान के नाम नामान्तरकरण कर दिया है तब अपीलान्टस को पता चला एंव पता चलते ही नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई है। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण बिरासत का भरा गया है कहीं भी बसीयत का कोई हवाला नहीं दिया है ऐसी सूरत में विरासत के नामान्तरण को ग्राम पंचायत द्वारा तरदीक करना चाहिए था ऐसा नहीं करके ग्राम पंचायत अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। बसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत को नामान्तरण खोलने का अधिकार नही है क्योंकि बसीयत को साक्ष्य से सिद्ध करना होता है। साक्ष्य लेने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। ग्राम पंचायत के समक्ष बसीयतनामा प्रस्तुत किया गया तो उसकी असलीयत की जांच कराया जाना आवश्यक था एंव अपीलान्टस को नोटिस जारी करना चाहिए था अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न करके कानूनी भूल की है। बसीयत किस दिनांक माह व सन् में की गई पंजीकृत है या अपंजीकृत है ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बसीयत थी नहीं मात्र रेस्पोडेन्ट को लाभ पहुंचाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्य एंव बिधि विरूद्ध नामान्तकरण तरदीक किया है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 399 दिनांक 20.09.2023 अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बोथपुरा निरस्त किया जावे एंव पटवारी हल्का द्वारा भरे गए विरासत के नामान्तकरण को तस्दीक किए जाने हेतु तहसीलदार मनियां को आदेश दिया जावे।

अपील प्रार्थना पत्र के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण को यह जानकारी थी कि उनके पूर्व पुरूष स्वं. जोधा द्वारा छोडी हुई आराजी पर उनके नाम नामान्तकरण हो गया है लेकिन दिनांक 18.08.2020 को पटवारी हल्का ने बताया कि स्व. जोधा द्वारा छोडी हुई आराजी पर तुम्हारे नाम नामान्तकरण नही हुआ है। सरपंच ग्राम पंचायत बोथपुरा ने अपनी मर्जी से एक अनरजिस्टर्ड बसीयत के आधार पर अकेले रघुवीर के वारिसान के नाम नामान्तकरण कर दिया है तब प्रार्थीगण को पता चला एंव पता चलते ही दिनांक 19.08.2020 विवादित नामान्तकरण की नकल के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया दिनांक 25.08.2020 को नकल प्राप्त हुई। नकल मिलते ही यह अपील बिना देरी अन्दर म्याद प्रस्तुत की है प्रार्थीगण ने जानबूझ कर कोई गलती नहीं की है महज जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है जो काबिल माफी है। अतः प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत किए जाने में हुई देरी को माफ की जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से श्री निशान्त भार्गव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट के अनुसार दिनांक 18.08.2020 को नामान्तकरण की जानकारी पटवारी हल्का के माध्यम से प्राप्त हुई। परंतु न तो पटवारी का शपथ पत्र पेश किया है तथा न ही वह वजह बताई है कि अपीलान्ट पटवारी से किस कार्य हेतु मिले थे या पटवारी ने किस बावत उनसे संपर्क किया था। अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2013 का है जबकि अपील करीब 7 वर्षो के विलम्ब से प्रस्तुत हुई है। जिसकी कोई वजह नहीं बताई है। स्वंय अपीलान्ट के कथनानुसार उन्हे अपीलाधीन नामा0 की नकल दिनांक 25.08.2020 को प्राप्त हुई, जबकि अपील व धारा 5

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

म्याद अधि0 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्रों में दिनांक 20.08.2020 अंकित है जिसका अर्थ यह निकलता है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन नामा0 की जानकारी पूर्व से थी। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फर्माया जावे।

इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रारंभिक आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपील नामातकरण आदेश के विरूद्ध पेश की गई है। नामान्तकरण की कार्यवाही में अपीलार्थी पक्षकार नहीं थे तथा उन्होने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की थी जिस कारण उन्हे यह आवश्यक था कि वह अपील करने से पूर्व न्यायालय की अनुमति प्राप्त करते परन्तु उनके द्वारा न तो कोई अनुमति प्राप्त की गई तथा न इस बावत कोई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया है। जिस कारण प्रस्तुत अपील वर्तमान स्वरूप में पोषणीय नही है। अतः प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

प्रारंभिक आपत्ति का जवाब अपीलान्टस की ओर से इस आशय का पेश किया कि रेस्पोडेन्टस ने प्रारंभिक आपत्ति तथ्य एंव विधि के विरूद्ध मात्र अपील को लिंगर ओन करने एंव अपीलान्टस को परेशान करने के लिए प्रस्तुत की है। प्रारंभिक आपत्ति में यह लिखा है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे गलत है, सर्वप्रथम अपीलान्टस के नाम नामान्तकरण भरा गया है, तस्दीक करते समय बिना नोटिस दिए रेस्पो0 के नाम नामान्तकरण किया गया है, इस प्रकार अपीलान्टस अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार थे। इसके अलावा अपीलान्टस का विवादग्रस्त नामान्तकरण में सीधा हित निहित है जिसके विरूद्ध अपील करने के लिए अनुमति की कोई आवश्यकता नही है। अतः प्रारंभिक आपत्ति खारिजी की जावे।

अपीलान्टस की ओर से अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रति नामान्तरकरण संख्या 399 ग्राम मौजा का नगला, जमाबंदी संवत् 2072–75 तथा संवत् 2076–79 ग्राम मौजा का नगला पेश की।

विद्वान वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील प्रार्थना पत्र एंव प्रा0 पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस एक ही परिवार के सदस्य है तथा स्वं. अकबर व जोधा के नजदीकी वारिस है। स्व. अकबर का सिजरा नामान्तकरण की पुश्त पर अंकित है। स्व. जोधा का लाऔलाद निधन हुआ था। जिनके निधनोंपरान्त पटवारी हल्का ने अपीलान्ट एंव रेस्पोडेन्टस के नाम विरासत का नामा0 भरा था परन्तु ग्राम पंचायत ने विधि विरूद्ध वसीयत के आधार पर नामान्तकरण अकेले रघुवीर के वारिसान के नाम भर दिया। जबकि ऐसी कोई वसीयत थी ही नही। नाही रेस्पोडेन्टस की ओर से पेश की गई है। यदि कोई वसीयत होती तो रेस्पोडेन्टस पेश करते। अतः नामा0 विधि विरूद्ध स्वीकार किया है। धारा 135(2) लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के तहत वसीयत के प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस देकर सुना जाना आवश्यक है। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत बोथपुरा ने वसीयत पर सुनवाई से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया। वसीयत की प्रमाणिकता का बिन्दु नामा0 कार्यवाही में निर्णीत नही किया जा सकता है। वसीयत को साक्ष्य के आधार पर ही प्रमाणित किया जा सकता है। दिनांक 18.08.2020 को पटवारी

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

हल्का ने बताया कि स्व. जोधा द्वारा छोडी हुई आराजी पर तुम्हारे नाम नामान्तकरण नही हुआ है। सरपंच ग्राम पंचायत बोथपुरा ने अपनी मर्जी से एक अनरजिस्टर्ड बसीयत के आधार पर अकेले रघुवीर के वारिसान के नाम नामान्तकरण कर दिया है तब प्रार्थीगण को पता चला एंव पता चलते ही दिनांक 19.08.2020 विवादित नामान्तकरण की नकल के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया दिनांक 25.08.2020 को नकल प्राप्त हुई। नकल मिलते ही यह अपील बिना देरी अन्दर म्याद प्रस्तुत की है प्रार्थीगण ने जानबूझ कर कोई गलती नहीं की है महज जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है जो काबिल माफी है। रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रारंभिक आपत्ति में यह लिखा है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे गलत है, सर्वप्रथम अपीलान्टस के नाम नामान्तकरण भरा गया है, तस्दीक करते समय बिना नोटिस दिए रेस्पो0 के नाम नामान्तकरण किया गया है, इस प्रकार अपीलान्टस अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार थे। इसके अलावा अपीलान्टस का विवादग्रस्त नामान्तकरण में सीधा हित निहित है जिसके विरूद्ध अपील करने के लिए अनुमति की कोई आवश्यकता नही है। अतः रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति खारिज की जावें, प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत किए जाने में हुई देरी को माफ किया जावे तथा अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार नामान्तकरण संख्या 399 ग्राम पंचायत बोथपुरा को निरस्त किया जाकर तहसीलदार मनियां को पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही हेतु आदेश दिए जावे। वकील अपीलान्टस ने प्रारंभिक आपत्ति धारा 96 सीपीसी के संबध में आरबीजे 2016 पेज 547 की प्रति म्याद के बिन्दु पर आरआरटी 2022(2) पेज 791 एच.सी., आरआरटी 2022(1) पेज 493 राजस्व मण्डल, आरएलडब्ल्यू 2005(2) आरजे पेज 596, आरएलडब्ल्यू 2005(1) पेज 432बी, आरआरटी 2018(1) पेज 186 राज. एच.सी. आर.आर.टी. 2022(1)पेज 467 राजस्व मण्डल की प्रति तथा अपील प्रार्थना पत्र पर अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017(2) पेज 1355, आरआरटी 2016(2) पेज 1099, आरआरटी 2014(1)पेज 196, आरआरटी 2007(2)पेज 924, आरबीजे 2020 पेज 301 की प्रति बतौर नजीर पेश की।

वकील रेस्पोडेन्टस ने बहस के दौरान प्रारंभिक आपत्ति तथा जवाब धारा 05 म्याद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्टस द्वारा अपील प्रार्थना पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा वसीयत के आधार पर विधिवत् स्वीकार किए गए नामान्तरकरण को निरस्त कराना चाहा है। नामान्तकरण की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निस्तारण नही किया जा सकता। नामान्तकरण की कार्यवाही में वसीयत की वैधता को चुनौती नही दी जा सकती है। वसीयत के रद्दकरण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अन्तर्वलित (complicated) प्रश्न केवल नियमित वाद में निर्णीत किये जा सकते है। अपीलान्टस की ओर से जो प्रश्न अपील प्रार्थना पत्र के माध्यम से उठाए गए है उनका निस्तारण साक्ष्य के आधार पर केवल नियमित वाद से ही किया जा सकता है। नामान्तकरण की अपील के माध्यम से इन प्रश्नो को निस्तारित नही किया जा सकता है। अपील के मैरिट पर निस्तारण से पूर्व प्रारंभिक आपत्ति एंव म्याद के बिन्दु का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट ग्राम पंचायत के समक्ष पक्षकार प्रकरण नही थे ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

करने से पूर्व उनके द्वारा धारा 96 सीपीसी के तहत अनुमति प्राप्त नही की है जो उनके द्वारा प्राप्त किया जाना आवश्यक था। अतः अपील प्रारंभिक रूप से ही खारिज योग्य है। अपीलान्टस की ओर से देरी का वाजिब कारण स्पष्ट नही किया है। अपील करीब 07 वर्ष व्यतीत हो जाने उपरान्त देरी से प्रस्तुत की है जिसकी स्पष्ट वजह जाहिर नही की है। देरी का पर्याप्त कारण स्पष्ट नही करने के कारण अपील अपीलान्ट्स म्याद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। विद्वान वकील रेस्पोडेन्टस की ओर से अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2020(1) पेज 205, आरबीजे (20)2013 पेज 1, आरआरडी 1990 पेज 689, आरआरटी 2017(1)पेज 117, आरआरटी 2022(1) पेज 166, आरआरटी 2017(1) पेज 711 , आरआरटी 2015(1)पेज 233, आरआरटी 2021(1)पेज 336, आरआरटी 2018–19 (supp.) पेजह 218, आरआरटी 2018(1)पेज 189, आरआरटी 2013(2)पेज 840, आरबीजे (28)2021 पेज 532, आरआरटी 2019(1)पेज 392, आरआरटी 2019(1)पेज 648 की प्रति बतौर नजीर पेश की।

विद्वान वकील उभयपक्ष को सुनने एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने उपरान्त वकील रेस्पोडेन्टस के इस कथन से हम सहमत है कि मैरिट पर सुनवाई से पूर्व प्रारंभिक आपत्ति एंव म्याद के बिन्दु का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। प्रारंभिक आपत्ति रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत की है कि नामान्तकरण की कार्यवाही में अपीलार्थी पक्षकार नही थे तथा उन्होने कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नही की गई थी जिस कारण उन्हे यह आवश्यक था कि वह अपील करने से पूर्व न्यायालय से अनुमति प्राप्त करते। प्रश्नगत प्रकरण में की गई नामान्तकरण कार्यवाही के दौरान किसी भी पक्षकार को कोई सुनवाई का अवसर दिया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। नामा0 कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें पक्षकार होने तथा आपत्ति पेश करने जैसी कोई प्रकिया नही अपनाई जाती है। अतः धारा 96 सीपीसी के प्रावधान प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावी नही है। अतः प्रारंभिंक आपत्ति रेस्पोडेन्टस सारहीन होने से खारिज की जाती है।

प्रकरण में विवादित नामान्तकरण दिनांक 20.09.2013 को ग्राम पंचायत बोथपुरा द्वारा स्वीकार किया गया है तथा अपीलान्टस की ओर से अपील इस न्यायालय के समक्ष लगभग 07 वर्ष वाद दिनांक 11.09.2020 को प्रस्तुत की गई है। यधपि अपीलान्ट की ओर से विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट नही किया है। परन्तु प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अध्ययन करने उपरान्त हम अपील अपीलान्ट म्याद के बिन्दु पर खारिज किया जाना न्यायोचित नही समझते है। प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अपीलान्ट धारा 05 म्याद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट की ओर से अपील के माध्यम से यह तथ्य स्पष्ट किया है कि अकबर के तीन पुत्र देवलाल, टुण्डा व जोधा थे। जिनमें जोधा लाऔलाद फौत हुआ है। जोधा के भाई टुण्डा व देवलाल का जोधा के निधन से पूर्व ही निधन हो गया था। जोधा के लाबल्द फौत होने पर पटवारी हल्का द्वारा स्व0 जोधा की विरासत का नामान्तकरण देवलाल व टुण्डा के वारिसान के नाम भरा गया था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा विरासत का

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

नामान्तकरण स्वीकार करने के बजाय देवलाल के 06 वारिसान में से एक वारिस रघुवीर के वारिसान के नाम वसीयत का आधार मानते हुए नामान्तकरण स्वीकार कर लिया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रकरण में विवादित नामान्तकरण की प्रति के अवलोकन से ग्राम पंचायत द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने से लगभग 07 वर्ष पूर्व स्वीकार हुआ है। जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात हो चुके है। अपीलान्ट द्वारा प्रमुख तौर पर यह कथन किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी हल्का द्वारा भरे गए विरासत के नामान्तकरण को स्वीकार करने की बजाय वसीयत के आधार पर नामान्तकरण को गलत रूप से स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट की ओर से आरआरटी 2017(2) पेज 1355, आरआरटी 2016(2) पेज 1099, आरआरटी 2014(1)पेज 196, आरआरटी 2007(2)पेज 924, आरबीजे 2020 पेज 301 की प्रति बतौर नजीर पेश की है। उक्त न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया तथा इस प्रकरण के साथ संगतता पर गहन मनन किया। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो के तहत निर्णीत प्रकरणों में विरासत के नामान्तरकरण से हुए इन्द्राजों को वसीयत के आधार पर जरिऐ अपील नामान्तरकरण चुनौती दी गई है जिसमें माननीय न्यायालयों द्वारा यह मत स्पष्ट किया है कि वसीयत सादित करना आवश्यक है नामान्तरकरण कार्यवाही में हक व अधिकार निर्णीत नही कर सकते है। जबकि इस नामान्तरकरण अपील प्रकरण में वसीयत के आधार पर हुए इन्द्राजों के विरूद्ध अपील पेश की है। वकील रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2013(2)पेज 840 में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण मंजूर किया। याचि को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए के मत के साथ अपील का निस्तारण किया। वकील रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे (28)2021 पेज 532 में माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निस्तारण नही किया जा सकता। नामा0 की कार्यवाही में वसीयत की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। आरआरटी 2019(1)पेज 392, आरआरटी 2019(1)पेज 648 के अवलोकन से भी यह समाधान होता है कि जटिल विवादों का निस्तारण नामान्तरकरण की अपील में नही किया जा सकता। वसीयत जैसे बिन्दु का परीक्षण भी अपील नामान्तरकरण में नही किया जा सकता है। विवादित नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना नामान्तकरण की पुश्त पर अंकन किया है। वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान कथन किया कोई वसीयत नही है ना ही प्रकरण में पेश की गई। वसीयत ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत हुई अथवा नही हुई इसका निर्धारण इस अपील नामान्तकरण के माध्यम से नही किया जा सकता है। नाही ग्राम पंचायत द्वारा वसीयत के आधार पर स्वीकार किए गए नामान्तकरण से राजस्व रिकॉर्ड में हुए इन्द्राजात में इस अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सकता है। वकील अपीलान्ट ने यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि धारा 135 एलआर एक्ट 1956 के तहत अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक नही किया जा सकता है। नामान्तकरण अपील का दायरा बहुत सूक्ष्म है। संबधित वसीयत पत्रावली पर उपलब्ध नही है। वसीयत वास्तव में पंजीकृत है अथवा अपंजीकृत है यह तथ्य न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नही है। अपीलान्ट द्वारा अपील के माध्यम से उठाये

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

गए प्रश्नों को नियमित वाद के माध्यम से साक्ष्य के आधार पर ही तय किया जा सकता है। यदि अपीलान्ट नामान्तरकरण की प्रक्रिया से संतुष्ट नही है तो सक्षम न्यायालय में स्वत्व घोषणा हेतु वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। गुणावगुण पर वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नजीरों के तथ्य प्रश्नगत प्रकरण से भिन्न होने कारण उन्हे कोई मदद नही करती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)